

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:-प. 3(19)गृह-1/2012

जयपुर, दिनांक: 18 JUL 2016

आज्ञा

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में उप निदेशक के पदों पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2014, 01.04.2015 एवं 01.04.2016 की स्थिति दर्शाते हुये अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है:-

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	उप निदेशक के पद पर चयन वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री विनोद चौधरी पुत्र श्री भगवान सिंह	सामान्य	07.07.1954	2008-09
2.	डॉ. एस.एस. डागा पुत्र श्री नोरतनमल डागा	सामान्य	18.05.1957	2009-10
3.	डॉ. जी.के. माथुर पुत्र श्री शिवनारायण माथुर	सामान्य	05.06.1956	2010-11
4.	डॉ. शैलेन्द्र झा पुत्र श्री आर.के. झा	सामान्य	30.09.1958	2011-12

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	उप निदेशक के पद पर चयन वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.
1.	डॉ. एस.एस. डागा पुत्र श्री नोरतनमल डागा	सामान्य	18.05.1957	2009-10
2.	डॉ. जी.के. माथुर पुत्र श्री शिवनारायण माथुर	सामान्य	05.06.1956	2010-11
3.	डॉ. शैलेन्द्र झा पुत्र श्री आर.के. झा	सामान्य	30.09.1958	2011-12

दिनांक 01.04.2016 की स्थिति

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं पिता का नाम	वर्ग	जन्म तिथि	उप निदेशक के पद पर चयन वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.
1.	डॉ. एस.एस. डागा पुत्र श्री नोरतनमल डागा	सामान्य	18.05.1957	2009-10
2.	डॉ. जी.के. माथुर पुत्र श्री शिवनारायण माथुर	सामान्य	05.06.1956	2010-11
3.	डॉ. शैलेन्द्र झा पुत्र श्री आर.के. झा	सामान्य	30.09.1958	2011-12

उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूचियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.वी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 393/2014 द्वारा श्री एस.एस. डागा एवं डॉ. जी.के. माथुर बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधधीन जारी की जाती है।

इस वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से अथवा सीधी ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में प्रेषित की जा सकती है।

आज्ञा से,




(पवन कुमार जैन)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

(2)

प. 3(19)गृह-1/2012

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल डिलिवर करावें तथा निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को इकजाई कर अपनी टिप्पणी सहित इस विभाग का भिजवायें।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज0 जयपुर।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस